न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 107 सन 2014
अनवान :–

1. गोपीराम उर्फ महेन्द्रसिह पुत्र हजारीराम जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा हाल गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. आत्मासिह पुत्र प्रेमसिह जाति भाटिया निवासी गोगामेडी तहसील नोहर ।
2. शीला बेवा राजकुमार जाति भाटिया निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।

असल प्रतिवादी

3. बृजलाल पुत्र हजारीराम जाति यादव निवासी भोजासर हाल निवासी गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. कमला पत्नी दलीपसिह जाति यादव निवासी भोजासर हाल निवासी गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. सतपाल 6 राजबाला 7 प्रवीण 8. सत्यवान पुत्र/पुत्रीया दलीपसिह जाति यादव निवासी भोजासर हाल गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. नरेन्द्रसिह पुत्र छोटूराम जाति यादव निवासी भोजासर हाल गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 20/01/2025

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मोजा चक चक 5 जीजीएम के में काफी सालो पहले आत्मासिह व शिला नाम की एक व्यक्ति रहता था जिसको रोही मोजा चक 5 जीजीएम के प0न0 415/458(63) के किला न0 23/0.240 ,24/0.2530 ,प0न0 415/459(96) के किला न0 1/0.126 ,2/0. 177 ,3/0.228 ,4/0.228 ,5/0.202 ,6/0.202 ,7/0.2530 ,8/0.2530 ,9/0.2530 ,10/0.140 ,11/0.240 ,12/0.2530 ,13/0.2530 ,14/0.2530 ,15/0.228 ,16/0.228 ,17 ता 24/2.024 ,25/0.227हैक्ट कुल 6.3250हैक्ट भूमि पुख्ता आवंटन/तबादला में भूमि आवंटन की गई थी।

रोही मौजा चक 5 जीजीएम में वादी व प्रतिवादी संख्या 3 बृजलाल प्रतिवादी संख्या 9 नरेन्द्रसिह तथा दलीपसिह रहते थे आत्मासिह इनके पास आता जाता रहता था वह अकेला आदमी था तथा उसके पास जीवन यापन के लिए कोई सहारा नही था इसलिये उसने अपनी उक्त आवंटन/तबादला में मिली भूमि को वादी व प्रतिवादीगण को दे दी तथा वादी व प्रतिवादी ने ही आत्मासिह व शिला को मिली भूमि की समस्त किश्ते जमा करवाई गई थी प्रतिवादी के पास इनकी परिचित शिला रहती थी जो वादी की विश्वास पात्र थी जिसने भूमि वादी को दे दी थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:38:35 IST
Reason: SelfAttested

आत्मासिह व शिला को आवंटन/तबादला में मिली भूमि उपजाऊ नही थी जिसके कारण फसल भी अधिक नही होती थी जिसके कारण आत्मासिह व शिला आवटन की गई भूमि की किश्ते जमा करवाने में नाकाम रहते थे किश्तों के कारण भूमि खारिज ना हो जाय इसलिये उन्होने वादी व प्रतिवादी को आत्मासिह ने अपनी भूमि जीवन यापन के लिये वादी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

को दे दी और किश्ते जमा करवाकर खातेदारी करवाकर अपने नाम करवाने का का लिखित समझौता कर लिया और कब्जा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 को सौप दिया तब से लेकर वाद भूमि वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 काश्त करते आ रहे है और वाद भूमि की किश्ते जमा करवाई गई है वाद भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 को देकर एव राशि प्राप्त की जाकर अपने जीवन यापन के लिये चले गये फिर कभी भी वापस नही आये आत्मासिह , शिला के द्वारा दी गई भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 के कब्जा काश्त में चली आ रही है व वाद भूमि में ढाणी बना कर निवास करते आ रहे है वाद भूमि की समस्त किश्ते वादी के द्वारा जमा करवाई जा चुकी है किन्तु वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज होने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 के नाम नही हो सकी थी।

वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ने आत्मासिह , शिला की काफी तलाश की गई किन्तु कोई अता पता नही चला इनके द्वारा लिखा पढी में वादी का नाम दर्ज करवाया था किन्तु वाद भूमि आत्मासिह व शिला ने वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 को सयुक्त तौर से दी गई थी और वाद भूमि सयुक्त तौर से ही काश्त करते आ रहे है वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 सन 1972 से लगातार वाद भूमि काश्त करते आ रहे है 12 वर्षो से अधिक समय से वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 एव उनके पुर्वजो के कब्जा काश्त में रहने के कारण वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 वाद भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये है।

वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 के सन 1972 से लगातार कब्जा काश्त में रहने के कारण खातेदार काश्तकार हो गये है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि आत्मासिह व शिला के नाम से दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी अपने हकों को घोषणा करवाकर अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 135/121 की कुल 6.3250हैक्‍ भूमि के वादी 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 9 अकेला 1/4 हिस्सा भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज की जावे एव आत्मासिह का नाम कलमजन करवाने किया जावे वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया किन्तु असल प्रतिवादी संख्या 1 ,2 या उनका कोई प्लीडर उपस्थित नही आया तथा तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबला दावा पेश किया प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का सही पता या निवास का ज्ञान नही होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के सम्मन को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया गया किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ,2 या उनका कोई भी प्लीडर उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से पेरोकार राज उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया गया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

पेराकार राज का जबाब शमिल मिसल किया वादी के वाद का किसी प्रकार को प्रतिरोध पेश नही होने के कारण तनकी कायम नही की गई तथा उभयपक्षों से साक्ष्य लिये गये वादी ने साक्ष्य में दस्तावेजात /शपथ पत्र पेश किया गये प्रतिवादीगण के द्वारा किसी भी प्रकार को कोई साक्ष्य पेश नही किया गया तहसीलदार नोहर के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा चक 5 जीजीएम के प0न0 415/458(63) के किला न0 23/0.240 ,24/0.2530 ,प0न0 415/459(96) के किला न0 1/0.126 ,2/0.177 ,3/0.228 ,4/0.228 ,5/0.202 ,6/0.202 ,7/0.2530 ,8/0.2530 ,9/0.2530 ,10/0.140

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:38:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

,11/0.240 ,12/0.2530 ,13/0.2530 ,14/0.2530 ,15/0.228 ,16/0.228 ,17 ता 24/2.024 ,25/0.227हैक कुल 6.3250हैक भूमि आत्मासिह व शिला प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को तबादला में दी गई थी। 6.2350

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 वादी के पूर्वजों के साथ व बाद में वादी के साथ ही निवास करता था आत्मासिह शिला अकेले थे तथा उसके पास जीवन यापन के लिए कोई सहारा नही था वादी के पास रह कर ही जीवन निर्वहन करता था प्रतिवादी संख्या 1 ,2 वादी के साथ ही निवास कर अपना जीवन यापन कर रहे थे जिनके पास तबादला में मिली भूमि काश्त करने का कोई भी जरीया नही था ना ही काश्त करने में सक्षम थे इसलिये वादी के साथ निवास करने के कारण अपने जीवन यापन के बदले में प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का मिली भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादी को दे दी तब से वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के द्वारा दी गई भूमि की किश्ते जमा करवाते रहे और भूमि काश्त करते रहे और प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की देखभाल व खान पान देते रहे।

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 कुछ समय तक तो वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के साथ निवास करते रहे ओर आराम से अपना जीवन यापन करते रहे एक दिन प्रतिवादी संख्या 1 ,2 वादी के निवास से चले गये और लोट कर नही आये वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ने आत्मासिह , शिला की काफी तलाश की गई किन्तु कोई अता पता नही चला इनके द्वारा लिखा पढी में वादी का नाम दर्ज करवाया था किन्तु वाद भूमि आत्मासिह व शिला ने वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 को सयुक्त तौर से दी गई थी और वाद भूमि सयुक्त तौर से ही काश्त करते आ रहे है वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 सन 1972 से लगातार वाद भूमि काश्त करते आ रहे है 12 वर्षो से अधिक समय से वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 एव उनके पुर्वजो के कब्जा काश्त में रहने के कारण वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 वाद भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये है।

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का सात वर्षो से अधिक समय से काफी तलाश करने के उपरान्त भी कोई अता पता नही होने के कारण सिविल डेथ होना माना जा सकता है प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को तबादला में मिली भूमि जो वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को दी गई थी जो उनके कब्जा काश्त में लगातार चली आ रही है के वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार हो गये हे किन्तु राजस्व रिकार्ड में गेरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी वाद भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 135/121 की कुल 6.3250हैक भूमि में आत्मासिह का नाम कलमजन किया जाकर वादी 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 9 अकेला 1/4 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने के आदेश फरमावे।

वादी ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत एवं एआई आर 1967 साक्ष्य अधिनियम 1972 की धारा 107 ,108 पेज 6–8 पेश किये।

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को जरिये रजिस्टर सम्मन, सामाचार में सम्मन प्रकाशित होने के उपरान्त भी कोई अता पता नही रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 10 की और से पेराकार राज उपस्थित आकर निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात मे अनुसार रोही मौजा चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 135/121 की कुल 6.3250हैक भूमि में आत्मासिह प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर गेरखातेदार काश्तकार दज है पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि तबादला में दी गई थी अर्थात आत्मासिह की भूमि किसी राजकीय उपयोग हेतु ली जाकर बदले में वाद भूमि आत्मासिह प्रतिवादी संख्या 1 को दी गई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:38:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनसुार आत्मासिह प्रतिवादी संख्या 1 तहसील नोहर का निवासी नही थी जिसे रोही मौजा चक 5 जीजीएम गांव गोगामेडी में भूमि तबादला में दी गई थी गांव गोगामेडी में आत्मासिह का कोई परिवार नही था आत्मासिह ने तबादला में दी गई भूमि काश्त करने के लिये वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 का सहयोग लिया गया था आत्मासिह जो गांव गोगामेडी में अजनबी था का सहयोग वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 एव उनके पूर्वजों ने किया था तथा आत्मासिह वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 के साथ निवास कर अपना जीवन यापन करने लग गया था।

आत्मासिह प्रतिवादी संख्या 1 जो भूमि काश्त करने एव रकम राज जमा करवाने मे असमर्थ था ने वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 को तबादला में मिली वाद भूमि दे दी गई थी वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 जो काश्तकार थे एवं खेती करने में निपूण थे ने आत्मासिह प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि काश्त करने लगे ओर उसकी आय से आत्मासिह वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 के साथ रहकर जीवन यापन करने लगा था।

आत्मासिह प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद भूमि जो तबादला में मिली थी वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 के साथ लिखापढी कर दी थी की तबादला में मिली भूमि की रकमराज जमा करवा कर अपने नाम करवा सकते है जिसके बदले में वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ने राशि का भुगतान भी किया गया था जो पत्रावली में उपलब्ध है आत्मासिह को तबादला में मिली भूमि की जो भी बकाया राशि /रकमराज थी राजकोष में वादी के द्वारा ही जमा करवाई गई थी जिसे वादी ने साक्ष्य के तोर पर प्रस्तुत की गई है वादी के द्वारा प्रस्तुत रसीदो से पूर्णत्यया साबित है कि वाद भूमि की रकम राज /रशि वादी के द्वारा जमा करवाई गई है।

वादी का कथन है आत्मासिह प्रतिवादी संख्या 1 जो काफी सालों से लापता है जिसका कोई अता पता नही है अर्थात आत्मासिह की सिविल डैथ होना माना जा सकता है न्यायालय के द्वारा भी आत्मासिह का तलब करने के लिये जमाबन्दी में दर्ज पते पर रजिस्टर नोटिस भिजवाया गया तथा दो दैनिक क्षेत्रिय समाचार पत्र एव अन्य विज्ञप्तिया जारी की गई किन्तु आत्मासिह या उनका कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नही आया जिसके कारण वादी के कथनो को बल मिलता है कि प्रतिवादी संख्या 1 की सिविल डैथ होना माना जा सकता है ।

उल्लेखनिय है कि किसी भी व्यक्ति का सात सालों तक तालाश करने/करवाने के उपरान्त भी कोई जानकारी नही हो ना ही किसी व्यक्ति के द्वारा देखा गया हो तो उसकी सिविल डैथ होनी मानी जा सकती है।

हस्तगत प्रकरण मे भी आत्मासिह प्रतिवादी संख्या 1 जो कुछ समय तो वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 के साथ निवास करता रहा और अपना जीवन यापन करता रहा है तथा अपना तबादला में मिली भूमि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 का दी जाकर वादी के साथ निवास कर अपना जीवन यापन करता रहा और वर्ष 1971 में वह वादी के घर से चला गया ओर आज दिनांक तक तलाश करने के उपरान्त भी कोई अता पता नही चला है तथा देनिक समाचार पत्र में विक्षिप्ति प्रकाशन करवाने के उपरान्त भी कोई अता पता नही चल रहा है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 की सिविल डैथ होना मानी जा सकती है आत्मासिह की सिविल डैथ होने की परिभाषा में ही आती है।

आत्मासिह प्रतिवादी संख्या 1 जिसे वाद भूमि तबादला में मिली थी उसे स्वय काश्त करने में सक्षम नही था ना ही स्वय के जीवन यापन का कोई साधन था प्रतिवादी संख्या 1 आत्मासिह ने तबादला में मिली भूमि वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 को दी जाकर उसकी काश्त से वादी के साथ अपना जीवन यापन करता रहा था और प्रतिवादी संख्या 1 ने तबादला में मिली भूमि वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 को वाद भूमि दे दी थी वादी एव तरतीब प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 के साथ रह कर अपना जीवन यापन करने लग गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:38:35 IST
Reason: SelfAttested

आत्मासिह प्रतिवादी संख्या 1 को मिली भूमि जो आत्मासिह ने वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 को दे दी गई थी की रकमराज वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

द्वारा जमा करवाई जानी पाई जाती है क्योकि चालान की प्रतिया उसी के कपास होगी जिसके द्वारा राशि जमा करवाई गई है असल चालान की प्रतिया वादी के द्वारा प्रस्तुत की गई है अर्थात वादी के द्वारा वाद भूमि की रकम राज राजकोष मे जमा करवाई गई है।

प्रतिवादी संख्या 1 आत्मासिह वर्ष 1971 में वादी के घर से चला गया था जिसका कोई अता पता नही चला है अर्थात आत्मासिह की सिविल डैथ उपरोक्त विवेचन अनुसार मानी जा सकती है आत्मासिह ने तबादला मे मिली भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 को दी गई थी जो प्रस्तुत लिखा पढी से पूर्णत्या साबित है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जीवन यापन के लिये तबादला में मिली भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 को दी गई थी इसलिये आत्मासिह की सिविल डैथ होने पर वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि होगी ।

वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ने वाद भूमि काश्त करने के सम्बध में वाद भूमि के आस पडोसीयों के शपथ पत्र पेश किये जिसके अनुसार वाद भूमि वर्ष 1972 के पूर्व से वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है एव भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है आत्मासिह ने कभी भी काश्त नही की थी ना ही कोई अता पता चल रहा है वाद भूमि पर कब्जा काश्त को लेकर तहसीलदार नोहर से जांच करवाई गई जिसके अनुसार भी वाद भूमि वर्षो से लगातार वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 के कब्जा काश्त की भूमि है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से पूर्णत्या साबित है कि आत्मासिह प्रतिवादी संख्या 1 को भूमि तबादला में मिलने एवं अपने जीवन यापन के लिये वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 को देने के उपरान्त लगातार वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

आत्मासिह जो वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 के साथ निवास करता था और उन्ही के साथ निवास कर अपना जीवन यापन करता था जिसने अपनी भूमि वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 को दी गई थी आत्मासिह के बाद वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ही वाद भूमि के हकदार है अर्थात वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 वाद भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के हकदार है।

यहॉ यह उल्लेखनिय है कि किसी भी भूमि पर लम्बे समय से जिस काश्तकार के द्वारा काश्त की जाती है और राजस्व रिकार्ड में अन्य का नाम अंकित हो तो भी वाद भूमि जिस काश्तकार के लम्बे समय से कब्जा काश्त में रहती है वह प्रतिकुल कब्जा के आधार पर भी उस भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 आत्मासिह को तबादला में मिली थी जिसे स्वय काश्त करने में असमर्थ था प्रतिवादी संख्या 1 आत्मासिह ने वाद भूमि वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 को दी जाकर उनके साथ रह कर अपना जीवन यापन करता रहा था आत्मासिह ने वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 को दी जाने की लिखा पढी भी करवाई गई थी आत्मासिह कुछ समय तो वादी के साथ निवास करता रहा और अपना जीवन यापन करता रहा था सन 1971 मे चला गया जिसका आज दिनांक तक कोई अता पता नही चला है जिसके सम्बध में मौजिज व्यक्तियो के शपथ पत्र एव न्यायालय द्वारा भी रजिस्टर सम्मन एव दैनिक समाचार पत्र में साया करवाने के उपरान्त भी कोई अता पता नही चला अर्थात आत्मासिह की सिविल डैथ होना माना जा सकता है आत्मासिह प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा अपने जीवन यापन के लिये तबादला में मिली भूमि को वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 का दी गई थी जो लगातार सन 1972 से आदिनांक तक कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसकी पुष्टि तहसीलदाार नोहर की रिपोर्ट से भी होती है तथा वाद भूमि के आस पास के मौजिज व्यक्तियो के द्वारा दिये गये शपथ पत्र से भी होती है। वाद भूमि जो आत्मासिह को तबादला में दी गई थी जिसे प्रतिवादी संख्या 1 आत्मासिह ने अपने जीवन यापन के लिये वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 को दी गई थी जिनके वाद भूमि कब्जा काश्त में है आत्मासिह के बाद वाद भूमि वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है एव प्रथम श्रेणी के वारिस भी माना जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:38:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सकता है क्योकि की जिसके जीवन यापन में सहयोग या जिसके साथ रहने एव पालना करने के कारण प्रथम श्रेणी का वारिस माना जा सकता है एव सहमति से अपने हक हिस्सा की भूमि देने से वह उस भूमि को पाने का अधिकारी होगा।

हस्तगत प्रकरण में आत्मासिह प्रतिवादी संख्या 1 ने तबादला में मिली भूमि स्वेच्छा से अपने जीवन यापन के लिये वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 को दी गई थी जो उनके कब्जा काश्त मे होना पूर्णत्या साबित हो चुका है एवं वाद भूमि की रकम राज जिसे वादी के द्वारा जमा करवाया जाना साबित हो चुका है आत्मासिह की सिविल डैथ होने के बाद वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 को उनके हक हिस्सा के अनुसार बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत एवं एआई आर 1967 साक्ष्य अधिनियम 1972 की धारा 107 ,108 पेज 6–8 पेश कर निवेदन किया की लापता/गायब जिसका कोई अता पता ना हो को साक्ष्यों के आधार पर मृतक माना जाकर उसके हक हिस्सा की भूमि उसके हकदारों को दी जा सकती है।

आत्मासिह प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद भूमि स्वैच्छा से वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 को दी गई थी जो पूर्णत्या साबित है एव कब्जा काश्त में लगातार होने के कारण प्रथम श्रेणी के वारिस एव प्रतिकुल कब्जा के आधार पर भी बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद काबिल डिक्री है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 168/167 की कुल 6.5010हैक भूमि जो आत्मासिह पुत्र प्रेमसिह प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 बहिब 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 9 अकेला 1/4 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 को पाबन्द किया जाता है कि वाद भूमि आगामी सात वर्षो तक बेचान नही करेगे अर्थात आगामी सात वर्षो तक बाद भूमि वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 बेचान करने से निषिद्व रहेगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/01/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:38:35 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. गोपीराम उर्फ महेन्द्रसिह पुत्र हजारीराम जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा हाल गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 आत्मासिह पुत्र प्रेमसिह जाति भाटिया निवासी गोगामेडी तहसील नोहर ।
2. शीला बेवा राजकुमार जाति भाटिया निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।

असल प्रतिवादी

3. बृजलाल पुत्र हजारीराम जाति यादव निवासी भोजासर हाल निवासी गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. कमला पत्नी दलीपसिह जाति यादव निवासी भोजासर हाल निवासी गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. सतपाल 6 राजबाला 7 प्रवीण 8. सत्यवान पुत्र/पुत्रीया दलीपसिह जाति यादव निवासी भोजासर हाल गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. नरेन्द्रसिह पुत्र छोटूराम जाति यादव निवासी भोजासर हाल गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

तरतीबी प्रतिवादीगण

बनाम

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 107 सन 2014 निर्णय दिनांक– 20/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 168/167 की कुल 6.5010हैक भूमि जो आत्मासिह पुत्र प्रेमसिह प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 बहिब 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 9 अकेला 1/4 हिस्सा भूमि का खातेदारद काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधन करे तथा वाद भूमि आगामी सात वर्षो तक बेचान नही करेगे अर्थात आगामी सात वर्षो तक बाद भूमि वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 बेचान करने से निषिद्व रहेगे का नोट जमाबन्दी में अकित किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:38:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)